

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Second Appeal No. 195/2025

Kedar Singh S/o Late Shri Moong Singh

----Appellant

Versus

Girraj S/o Sedmal

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. K.K. Chhawal
For Respondent(s)	:	Ms. Praveshika Singh for Mr. V.D. Gathala, A.G.C. Mr. Daulat Sharma for Applicant Smt. Urmila & Smt. Hatti

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

28/01/2026

अपीलार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या-1/2025 बाबत श्रीमती उर्मिला व श्रीमती हट्टी देवी को इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार प्रत्यर्थी संख्या-5 व 6 के रूप में संयोजित किए जाने पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि इस मामले में सिविल प्रथम अपील निरस्त होने के बाद प्रत्यर्थीगण-प्रतिवादीगण संख्या-1 व 2 द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति श्रीमती उर्मिला व श्रीमती हट्टी देवी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान की जा चुकी है, इसलिए श्रीमती उर्मिला व श्रीमती हट्टी देवी इस मामले में आवश्यक पक्षकार हैं, जिन्हें प्रत्यर्थीगण संख्या 5 व 6 के रूप में संयोजित किया जाये।

विद्वान अधिवक्ता श्री दौलत शर्मा आज श्रीमती उर्मिला व श्रीमती हट्टी देवी की ओर से उपस्थित हैं तथा वे प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार उनके पक्ष में बेचान होना स्वीकार करते हैं।

उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि वादग्रस्त सम्पत्ति श्रीमती उर्मिला व श्रीमती हट्टी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की जा चुकी है, प्रार्थना पत्र संख्या-1/2025 स्वीकार किया जाता है तथा

श्रीमती उर्मिला व श्रीमती हट्टी को इस मामले में प्रत्यर्धीगण संख्या-5 व 6 के रूप में संयोजित किया जाता है, ताकि विवाद का पूर्ण रूप से निपटारा किया जा सके।

संशोधित अपील शीर्षक प्रस्तुत हो चुका है, जिसे यथोचित स्थान पर संलग्न किया जाये।

प्रत्यर्धी संख्या-5 व 6 को औपचारिक नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी ओर से अधिवक्ता श्री दौलत शर्मा आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

प्रत्यर्धी संख्या-3 व 4 की ओर से अधिवक्ता आज उपस्थित है।

प्रत्यर्धी संख्या-1 व 2 के नये नोटिस मय आदेशिका शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर नियमानुसार जारी हो। तदनुसार प्रार्थना पत्र संख्या-2/2025 (जिसके द्वारा जिन प्रार्धीगण की तामील नहीं हुई है, के नये नोटिस जारी किए जाने की प्रार्थना की गई है), भी निस्तारित किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J